

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

लक्ष्मण ठाकुर पिता स्व० बंदी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही, ओ०पी० पदगा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-पदमा, मौजा-करमटौंड, थाना नं०-53, खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-100, रकवा 0.0450 एकड़ (4.50 डिसमिल) (चार दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि हेवंती देवी पति विनय कुमार ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही, ओ०पी० पदगा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-05(A)/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 344/रा० दिनांक 31.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, पदमा को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, पदमा के पत्रांक 295 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। सर्वे खतियान में टिकवा हजाम वगैरह के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-02, गौल्युम-11 पर धनु हजाम वो टिकवा हजाम वगै० के नाम से खाता संख्या-03, रकवा-4.32 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 4.2750 एकड़ भूमि संयुक्त में बचती है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, पदमा के अनुशंसा के आलोक में लक्ष्मण ठाकुर पिता स्व० बट्टी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही ओ०पी० पदमा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-पदमा, मौजा-करमटौंड, थाना नं०-53, खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-100, रकबा 0.0450 एकड़ (4.50 डिसमिल) (चार दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि हेवंती देवी पति विनय कुमार ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही, ओ०पी० पदमा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p>	